

65

आदेशफलक

मापी अभिलेख सं० 74 / 17-18
 आवेदक - महेश प्रसाद चौहान
 पिता - स्व. गौमक वैमदार
 साठ - ई० बरौया 7 न० (बौआ)
 जिला - धनबाद।

65

दिनांक	आदेश	अव्यक्ति
18	<p>आवेदक - महेश प्रसाद चौहान पिता - स्व. गौमक वैमदार साठ - ई० बरौया 7 न० (बौआ) ने मौजा - बौआकमा स्वातानं 144 नया प्लॉट नं० 3134/4002 एवं 3135 पुराना प्लॉट नं० 2491 रकबा 4 ए० भूमि मापी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर हाका कर्मचारी का जंप प्रतिवेदन अंजल मिरीसक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा - बौआकमा मौजा नं० 228 स्वातानं 144 प्लॉट नं० 3134/4002 एवं 3135 रकबा 4 एकड़ भूमि खेती खाते की भूमि है। अनुमान वैमदार एवं अन्य के नाम से हास सर्वे खातियान बना है।</p> <p>अतः हाका कर्मचारी एवं अंजल मिरीसक के जंप प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का शर्त शुल्क जमा करने के पश्चात अंजल मिरीसक को प्रतिमपुत्र के</p>	<p>अंचल अधिकारी बाधमारा</p>
18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक महेश प्रसाद चौहान पिता - स्व. गौमक वैमदार साठ - ई० बरौया 7 न० (बौआ) ने MRN 01128255 दिनांक 12.4.18 के द्वारा मापी शुल्क ₹40 = 00 सात सौ चालीस रुपये जमा किया गया।</p>	<p>अंचल अधिकारी बाधमारा</p>
18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंजल अमीन ने प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा - बौआकमा मौजा नं० 228 स्वातानं 144 हास खेसरा सं० 3134, 3135 रकबा 4.00 ए० भूमि मापी हेतु दिनांक 11.6.18 को स्थान जाकर आवेदक महेश प्रसाद चौहान पिता - स्व. गौमक वैमदार साठ - बौआकमा से सम्पर्क करते हुए हास नक्शा से सर्वेक्षण करते हुए उक्त प्लॉट को मापी किया मापी के क्रम में पाया गया है कि प्लॉट नं० 3134/4002 में अनेको लोगो का कच्चा एवं पक्का भवन है। रकबा 4.00 ए० भूमि मापी कर जगह - जगह पर पत्थर गाड़वा दिया। मापी शांतिपूर्ण हुआ।</p>	<p>अंचल अधिकारी बाधमारा</p>